

दिल्ली राजपत्र



Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2012/कार्तिक 1, 1934

[ग.रा.रा.क्षे.दि. सं. 171

No. 177]

DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2012/KARTIKA 1, 1934

| N.C.T.D. No. 171

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2012

फा. सं. 8(86)/ईए/पर्या./2008/4852.—जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क अन्य बातों के साथ-साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के बचाव के लिये प्रयत्न करेगा;

और जब कि दिल्ली सरकार ने पर्यावरण तथा स्थानीय परिवेश पर प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि प्लास्टिक की थैलियां लापरवाही से इधर-उधर फेंक दी जाती हैं और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

और जब कि यह पाया गया है कि प्लास्टिक की थैलियां गटरों, मल निकास प्रणाली तथा नालों में बाधा भी उत्पन्न करती हैं। इससे गंभीर पर्यावरणीय तथा जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

और जब कि पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या एस ओ 867 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का एक प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 2011 को सं. फा. 8(86) ई.ए./पर्या./2008/20485 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से साठ दिन के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनसाधारण से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जब कि उक्त प्रारूप की अधिसूचना संबंधी जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर 1992 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की दिनांक 7 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या सं० फा० 8(86) / ईए / पर्या. / 2008 / 9473 के अधिकरण में, ऐसे अधिकरण से पूर्व कृत्यों, की गई बातों या हटाए गए के सिवाय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करती है, अर्थात् :-

निदेश :-

1. किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, फेरीवालों या रेहड़ीवालों (अर्थात् जिसमें सभी प्रकार के हाथ से घकेलने वाले टैले शामिल हैं जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खादय पदार्थ या अखादय सामान या सामग्री / वस्तु के भण्डारण या वितरण के लिये किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा;
2. कोई भी व्यक्ति समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन, व न बुने हुए कैनिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों शामिल हैं) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय या दुलाई नहीं करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक जिसमें पत्रिका और निमंत्रण पत्र और स्वागत - पत्र शामिल हैं, को बांधने या ढकने के लिये किसी प्रकार के प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग नहीं करेगा।

अपवाद

इस अधिसूचना के अन्तर्गत जारी निदेश जैव चिकित्सीय कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन और संभाल) नियमावली, 1998 के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगा।

व्याख्या :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्लास्टिक की थैलियों" का वही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन तथा संभाल) नियमावली, 2011 में परिभाषित है, जो निम्न रूप में उद्धृत किया जाता है:-

"प्लास्टिक की थैलियों" का अर्थ किसी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री से निर्मित, वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त लेकिन इसमें वे थैलियां शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएं सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों के एतद् द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:-

1. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) तथा सहायक पर्यावरण अभियंता तथा उच्च स्तर के अधिकारी।

2. निदेशक (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा वैज्ञानिक और उच्च स्तर के अधिकारी ।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-मंडल मजिस्ट्रेट का अपने अधिकार क्षेत्र में ।
4. संबंधित स्थानीय निकायों अर्थात् नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के सहायक सफाई निरीक्षक, सामान्य लाइसेंसिंग निरीक्षक एवं दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य निरीक्षक तथा इन सभी से उच्च पदासोन संवर्गीय अधिकारी ।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ।
6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उसके द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के चिकित्सा अधिकारी ।
7. श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम निरीक्षक तथा उच्च का अपने अधिकार क्षेत्र में ।
8. खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च का अपने अधिकार क्षेत्र में ।

मानिट्रिंग :

सदस्य सचिव (डीपीसीसी) अपने निर्देशों का समस्त क्रियान्वयन तथा मानिट्रिंग सुनिश्चित करेंगे । अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव (डीपीसीसी) तथा संबंधित क्षेत्र /अधिकार क्षेत्र वाले उप मंडलीय मजिस्ट्रेट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्राधिकृत हैं । ऐसी शक्तियाँ पहले अद्यतन संशोधित अधिसूचना सं. एस.ओ.349 (इ) दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्राप्त हैं ।

प्रवर्तन :

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन बाद लागू होगी तथा इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से इस सरकार की दिनांक 7.1.2009 की अधिसूचना सं० फा. 08(86)/इए/पर्या०/08/9473 के अधीन दायर शिकायतें/निपटाई गई तथा लम्बित शिकायतों की सीमा तक, इस अधिसूचना से पहले किये गए कार्यों या लोप कार्यों को छोड़कर, अधिकमित हो जाएंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव)

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
NOTIFICATIONS**

Delhi, the 23rd October, 2012

F. No. 8(86)/EA/Env/2008/4852.— Whereas, article 48-A of the Constitution of India, inter-alia envisages that the State shall endeavour to protect the environment,

And whereas, the Government of Delhi after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology, felt that plastic carry bags are littered about irresponsibly and have detrimental effect on the environment;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags also cause blockage of gutters, sewerage system and drains thereby resulting in serious environmental and public health related problems.

And whereas, a draft notification, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992 read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published in the Gazette vide F8(86)/EA/Env/2008/20485 Dated 20th September, 2011, by the Government of National Capital Territory of Delhi, inviting objections and suggestions from general public with respect to the said notification within sixty days from the date of the publication of the said notification;

And whereas, the objections and suggestions received from the public with respect to the said draft notification have been considered by the Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992 read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment

(Protection) Rules, 1986, and in supersession of this Government's notification No.F(8)(86)/EA/ENV/2008/9473 dated 7th January,2009, except the acts and things done or omitted to be done before such supersession, the Government, hereby issues the following directions namely :-

Directions:-

1. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala (i.e., which shall include all kinds of hand pushed/pulled carts which are used to sell various commodities), shall sell or store or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials.
2. No person shall manufacture, import, store, sell or transport any kinds of plastic carry bags (including that of Poly Propylene, Non-woven fabric type carry bags) in the whole of National Capital Territory of Delhi.
3. No person shall use any kind of plastic cover or plastic sheet or plastic film or plastic tube to pack or cover any book including magazine, and invitation card or greeting card.

Exception:

The direction issued under this notification, shall not affect the use of plastic carry bags as specified under the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998.

Explanation:

For the purpose of this Notification " plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 issued by Government of India, Ministry of Environment and Forests, which is reproduced as below:-

"Carry bags" mean bags made from any plastic material, used for the

purpose of carrying or dispensing commodities but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

Authorized Officers:

The following officers are hereby authorized to implement this Notification in their respective jurisdiction, namely:-

1. Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee (DPCC) and Officers at the level of Assistant Environmental Engineer and above.
2. Director (Environment), Government of National Capital Territory of Delhi, and officers at the level of scientist and above.
3. Sub-Divisional Magistrates of Government of National Capital Territory of Delhi in their respective jurisdiction.
4. Assistant Sanitary Inspectors and above, Health Inspectors and above, General Licensing Inspectors and above of the respective local bodies namely, New Delhi Municipal Council (NDMC), Municipal Corporations of Delhi (MCDs) and Delhi Cantonment Board (DCB) and Public Health Inspectors of MCDs.
5. Food and Supply Officers, of the respective area of Government of National Capital Territory of Delhi.
6. Director, Health Services or the Medical officers of Government of National Capital Territory of Delhi nominated by him.
7. Labour Inspectors and above of the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi in their respective jurisdiction.
8. Food Inspectors and above of the Prevention of Food Adulteration Department (PFA) of the Government of National Capital Territory of Delhi in their respective jurisdiction.

Monitoring:

The Member Secretary, (Delhi Pollution Control Committee) shall ensure over all monitoring and implementation of these directions.

The Chairman and Member Secretary (DPCC) and the Sub-Divisional Magistrates of the respective area/ jurisdiction are authorized to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, as already empowered vide Notification no. S.O. 349 (E) dated 16th April, 1987 as amended up to date.

Enforcement:

This notification shall come into force with effect from thirty days from the date of publication in the official Gazette and the notification of this Government No. F.08(86)/EA/Env./08/9473 dated 07.01.2009 shall be superseded from the date of enforcement of this notification, except in supersession of the things done or omitted to be done before such supersession, to the extent that complaint cases filed/ sided under the previous notification and pending.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy. (Environment, Forests and Wildlife)